न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/24 **दायरा दिनांक : 17.02.2025**

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र मथुरालाल लोधा, निवासी खेजड़ा, तहसील अकलेरा
2. रामकन्या बाई पुत्री मथुरालाल जी जोजे श्री किशन लोधा, निवासी गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1. प्रदीपकुमार आत्मज श्री रामलाल उर्फ जैलाल लोधा, निवासी खेजडा मृतक कायम मुकामान हाल मुकाम नजदीक रामधन आत्मज श्री हनुमान, निवासी आर ए सी मुख्य मार्ग हनुमान नगर दादाबाडी कोटा
   1/1. वीरेन्द्र पुत्र स्व० प्रदीप कुमार
   1/2. पुष्पलता बेवा स्व० प्रदीप कुमार
   1/3.मोहित लववंशी पुत्र स्व० प्रदीपकुमार
   1/4. प्रियंका लववंशी पुत्र स्व०प्रदीप कुमार जी
2. श्याम पुत्र रामलाल उर्फ जैलाल लोधा, नि० खेजडा, तहसील अकलेरा हाल मुकाम रामधाम के सामने हनुमान नगर दादाबाडी मेन रोड कोटा
3. जगदीश पुत्र रामलाल उर्फ जैलाल लोधा, निवासी खेजडा हाल नि० बरडा बस्ती अनन्तपुरा सरकारी रेटरीन के पास फूटा तालाब कोटा
4. दिलीप पुत्र रामलाल उर्फ जैलाल लोधा, नि० खेजडा, तह० अकलेरा हाल मुकाम रामधाम के सामने हनुमान नगर दादाबाडी मेन रोड कोटा
5. रामदुलारी पुत्री रामलाल उर्फ जैलाल पत्नि वीरमचन्द निवासी कोटडा जागीर, ग्राम पंचायत गोपालपुरा, तह० अकलेरा
6. श्रीलाल वल्द धूल्या, जाति लोधा, निवासी खेजडा, तह० अकलेरा
7. जमनालाल पुत्र धूल्या, जाति लोधा, निवासी खेजडा, तह० अकलेरा
8. बद्रीलाल पुत्र धूल्या, लोधा, नि० खेजडा, तह० अकलेरा
9. नारायण वल्द लाला लोधा, निवासी खेजडा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   9/1 बाबूलाल आयु 63 वर्ष स्व० नारायण लोधा
   9/2 कालूलाल पुत्र स्व० नारायण जी लोधा निवासीगण खेजडा, तहसील अकलेरा, जिलाझालावाड
   9/3 सूरजी बाई पुत्री स्व० नारायण जी पत्नि लालजीराम, निवासी पृथ्वीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
   9/4 सुन्दर बाई पुत्री स्व० नारायण जी पत्नि स्व० मूलचन्द जी, निवासी दीगोद जागीर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारा राज०
   9/5 पारी बाई पुत्री स्व० नारायण जी पत्नि रामचन्द्र जी लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ मध्यप्रदेश
10. राजस्थान सरकार जरर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड–

.... रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 13.11.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या –207/दावा/2002 निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 01.11.2010 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खेजडा, पटवार हल्का नयापुरा, तहसील अकलेरा के माल में नयी खतौनी संख्या 92 व पुरानी 82 की खसरा नं. 673 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 681 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 682 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 683 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 824 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, खसरानं. 825 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 923 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 924रकबा 4 बिस्वा कुल 10 किता कुल रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 01.11.2010 से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है किअधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20–04–2006 को प्रारंभिक डिक्री का आदेश अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित किया लेकिन फाइनल डिक्री दिनांक 01–10–2010 की पालना वैध रूप से नहीं की गई।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–11–2010 जो फाइनल डिकी बनाई गई उसमे सीमांकन गलत किया। धारा 18 से 21 आर० टी० एक्ट की पालना नहीं की गई इसलिये अपीलान्ट को माननीय न्यायालय मे अपील पेश करना कानूनी रूप से आवश्यक होगया है। फाइनल डिक्री में जो आदेश दिया गया कि ग्राम खेजडा, तहसील अकलेरा के माल की खाता सं० 92 की 10 किता की 35.19 बीघा आराजी में से वादीगण (अपीलान्ट) की 1/6 भाग का पृथक से खातेदार टेनेन्ट घोषित जाकर उक्त आराजी वादीगण अपीलान्ट के पृथक खाते दर्ज करने के आदेश दिये गये थे अतः नये सिरे से खाते का विभाजन कर कब्जा वादीगण को दिया जावे।जो नक्शा बनाया गया उसमे दिशाओं का भारी विरोधाभास होने से विवाद की स्थिति पैदा होगई है इसलिये माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।ख० नं० 824 में जो नक्शा बनाया गया है वह उत्तर से दक्षिण है जबकि यह पूर्व से पश्चिम होना चाहिये था तरमीम होना

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चाहिये वह भी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिये।इसी प्रकार, ख० नं0 926, 924, 923 का जो सीमांकन किया गया है उसमे 923 का नक्शा जो बनाया वह पूर्व से पश्चिम सही बनाया गया है लेकिन ख. नं. 926,924 को सही नहीं बनाया है। इसी प्रकार खसरा नं. 682 एवं 683 में नये सिरे से तरमीम होना है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट द्वारा दर्शाये गये नक्शे अनुसार उक्त बंटवारा आराजी के नक्शों में दुरूस्ती कर मौके पर नक्शा अनुसार काबिज करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.09.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने फाइनल डिक्री में जो बंटवारा उत्तर से दक्षिण किया है वह पूर्व से पश्चिम होना चाहिए। खसरा नं. 923 का विभाजन पूर्व से पश्चिम किया है जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। अतः अपील स्वीकार की जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाइनल डिक्री निरस्त की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया कि ग्राम खेजडा, तहसील अकलेरा के माल में नई खाता संख्या 92 की कुल 10 किता की 35

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बीघा 19 बिस्वा आराजी में वादीगण का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 ता 5 तथा चन्दा बेवा रामलाल का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादीगण नं. 6, 7, 8 हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नं. 9 का हिस्सा 1/3 खाते दर्ज है। वर्णित आराजी शामलाती में रहने से आपस में लडाई–झगडे होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर वादीगण का 1/6 हिस्सा पृथक खाते दर्ज कर पृथक कब्जा आराजी दिया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण अपना हक परित्याग करने के बाद से अन्यत्र जाकर रहने लग गये है तथा उक्त आराजी को प्रतिवादीगण ने ही अपने पास से रूपये खर्च कर आराजी को उपजाउ बनाया है एवं आराजी पर चाह का निर्माण करवाया है जिस पर प्रतिवादीगण का 50000/– रूपये करीबन खर्चा हुआ है। वादीगण उक्त खर्चा प्रतिवादीगण को अदा करने पर ही आराजी का विभाजन कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद मय खर्चा फरमाया जावे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2006 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेशित किया कि ग्राम खेजडा, तहसील अकलेरा की खाता संख्या 92 की कुल 10 किता की 35 बीघा 19 बिस्वा आराजी में से वादीगण को 1/6 भाग का पृथक से खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है, राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार अकलेरा को राजस्व मण्डल के नियम 18–21 के अनुसार आराजी का विभाजन कर उक्तानुसार विभाजन पत्र तैयार कर पेश किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये।

तहसीलदार अकलेरा द्वारा अपने पत्रांक 1625 दिनांक 13.10.2010 से विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय भिजवाये जाने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.11.2010 से अंतिम डिक्री जारी कर विवादित आराजी में से वादीगण को 1/6 भाग का पृथक से खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर उक्त आराजी वादीगण के पृथक खाते दर्ज करने के आदेश जारी किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2056 से 2059 प्रदर्श पी 1 के अनुसार विवादित आराजी में वादीगण अपीलांट का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादीगण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2006 से वादीगण अपीलांट का दावा स्वीकार कर डिक्री किया। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार अकलेरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.10.2010 से विभाजन प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को प्रेषित किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2010 को अंतिम डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालयद्वारा दिनांक 01.11.2010 को जारी अंतिम डिक्री के विरूद्ध लगभग

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

14 वर्ष पश्चात वादीगण अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की है परन्तु अपीलांट द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कारण यह अंकित किया है कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट रामकन्या को अपने हिस्से की आराजी का विक्रय रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर दिनांक 30.05.2024 को रजिस्ट्री क्रेता के पक्ष में कराने के बाद दिनांक 25.09.2024 को मौके पर अन्य खातेदारान द्वारा क्रेता के साथ झगडा करने पर तथा क्रेता द्वारा उक्त संबंध में बताने पर जानकारी हुई। अपीलांट रामकन्या के उक्त कथन एवं अपील के साथ प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2024 की फोटोप्रति से यह स्पष्ट है कि रामकन्या द्वारा अपने हिस्से की आराजी का विक्रय क्रेता कमलेश कुमार लोधा के पक्ष में करते हुए प्रतिफल की राशि 2,00,000/– रूपये नकद प्राप्त कर आराजी का कब्जा क्रेता को संभला देने के कारण विधिवत रूप से बेचान की तारीख से अपने हिस्से की उक्त बेचानशुदा आराजी पर रामकन्या को कोई विधिवत अधिकार शेष नहीं रहे हैं। अतः रामकन्या को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 01.11.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार विधिक रूप से प्राप्त नहीं है।

अपीलांट मांगीलाल द्वारा भी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपील 14 साल विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई स्वीकार योग्य कारण अंकित नहीं किया है जबकि विधिक रूप से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए अपीलांट को एक एक दिन के विलम्ब का कारण बताना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा अपील में हुए विलम्ब का उचित कारण धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है फिर भी न्याय हित में अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील पर अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गयी एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील में मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि खसरा नं. 824, 926, 924, 682 एवं 683 में विभाजन एवं नक्शे में तरमीम पूर्व से पश्चिम की ओर होनी है परन्तु ऐसा कोई कथन अंकित नहीं किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर किया गया है उससे वादीगण अपीलांट को क्या हानि हुए है या इस विभाजन से उनके हित किस प्रकार प्रभावित हुए है। अपीलांट रामकन्या बाई द्वारा अपने हिस्से का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता कमलेश कुमार लोधा के पक्ष में करते हुए प्रतिफल राशि 2,00,000/– रूपये नकद प्राप्त कर कब्जा क्रेता को संभला देने के कारण उसे अधीनस्थ न्यायालयद्वारा पारित अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होने एवं अपीलांट मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उसके हित किस प्रकार प्रभावित हुए है, इसका कोई कारण अंकित नहीं करने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना विधि सम्मत नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.11.2010 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/11/2025

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. मांगीलाल पुत्र मथुरालाल लोधा, निवासी खेजड़ा, तहसील अकलेरा
2. रामकन्या बाई पुत्री मथुरालाल जी जोजे श्री किशन लोधा, निवासी गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.....अपीलांट

बनाम

1. प्रदीपकुमार आत्मज श्री रामलाल उर्फ जैलाल लोधा, निवासी खेजडा मृतक कायम मुकामान हाल मुकाम नजदीक रामधन आत्मज श्री हनुमान, निवासी आर ए सी मुख्य मार्ग हनुमान नगर दादाबाडी कोटा
   1/1. वीरेन्द्र पुत्र स्व० प्रदीप कुमार
   1/2. पुष्पलता बेवा स्व० प्रदीप कुमार
   1/3. मोहित लववंशी पुत्र स्व० प्रदीप कुमार
   1/4. प्रियंका लववंशी पुत्र स्व०प्रदीप कुमार जी
2. श्याम पुत्र रामलाल उर्फ जैलाल लोधा, नि० खेजडा, तहसील अकलेरा हाल मुकाम रामधाम के सामने हनुमान नगर दादाबाडी मेन रोड कोटा
3. जगदीश पुत्र रामलाल उर्फ जैलाल लोधा, निवासी खेजडा हाल नि० बरडा बस्ती अनन्तपुरा सरकारी रेटरीन के पास फूटा तालाब कोटा
4. दिलीप पुत्र रामलाल उर्फ जैलाल लोधा, नि० खेजडा, तह० अकलेरा हाल मुकाम रामधाम के सामने हनुमान नगर दादाबाडी मेन रोड कोटा
5. रामदुलारी पुत्री रामलाल उर्फ जैलाल पत्नि वीरमचन्द निवासी कोटडा जागीर, ग्राम पंचायत गोपालपुरा, तह० अकलेरा
6. श्रीलाल वल्द धूल्या, जाति लोधा, निवासी खेजडा, तह० अकलेरा
7. जमनालाल पुत्र धूल्या, जाति लोधा, निवासी खेजडा, तह० अकलेरा
8. बद्रीलाल पुत्र धूल्या, लोधा, नि० खेजडा, तह० अकलेरा
9. नारायण वल्द लाला लोधा, निवासी खेजडा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   9/1 बाबूलाल आयु 63 वर्ष स्व० नारायण लोधा
   9/2 कालूलाल पुत्र स्व० नारायण जी लोधा निवासीगण खेजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
   9/3 सूरजी बाई पुत्री स्व० नारायण जी पत्नि लालजीराम, निवासी पृथ्वीपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
   9/4 सुन्दर बाई पुत्री स्व० नारायण जी पत्नि स्व० मूलचन्द जी, निवासी दीगोद जागीर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारा राज०
   9/5 पारी बाई पुत्री स्व० नारायण जी पत्नि रामचन्द्र जी लोधा, निवासी भूमरिया, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ मध्यप्रदेश
10. राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड–

... रेस्पोडेंट

अपील नं. **2025/24** व नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**
मु.द.नं **207/दावा/2002** निर्णय एवं डिक्री दिनांक – **01.11.2010**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 14 माह 10 सन् **2025**

हाजरी **श्री महेन्द्र कुमार जैन** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट, **रेस्पोडेंटगण** अनुपस्थित।
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.11.2010 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **13** माह **11** सन् **2025** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा